अध्याय 2

राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की सांख्यिकीय प्रवृत्ति

अध्याय-2

राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध अपराध की सांख्यिकीय प्रवृत्ति

2.1 राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध अपराध की सांख्यिकीय प्रवृत्ति

राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से संबंधित जानकारी पुलिस महानिदेशक, राजस्थान द्वारा समेकित और राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एससीआरबी) द्वारा इसकी वार्षिक रिपोर्ट 'क्राईम इन राजस्थान' के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्य स्तर के आंकड़ों को संकलित करता है और इसकी वार्षिक रिपोर्ट 'क्राईम इन इण्डिया' के माध्यम से प्रस्तुत करता है।

लेखापरीक्षा के दौरान, राज्य स्तर की जानकारी पुलिस महानिदेशक, राजस्थान से प्राप्त की गई थी। राजस्थान के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए सम्पूर्ण भारतीय औसत के साथ-साथ अन्य राज्यों की स्थिति के आंकड़े एनसीआरबी की रिपोर्टों (2010-19) से लिये गये थे।

भादसं और स्थाविअ के अंतर्गत राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध जनवरी 2010 से दिसंबर 2019[10] के दौरान दर्ज अपराध की घटनाऐं, जैसा कि पुलिस महानिदेशक, राजस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई है, नीचे **तालिका 2** में दी गई है:

तालिका 2

क्र.स.	अपराध का शीर्ष	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	योग
(अ)	**भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत अपराध**											
1	पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (भादसं की धारा 498-अ)	11,145	12,218	13,312	15,094	15,905	14,383	13,811	11,508	12,250	18,432	1,38,058
2	महिलाओं पर लज्जा भंग करने के इरादे से हमला (भादसं की धारा 354)	2,339	2,447	2,352	4,829	5,999	4,813	4,839	4,883	5,249	8,802	46,552
3	महिलाओं का अपहरण एवं व्यपहरण (भादसं की धारा 363 से 364 ए और 366 से 369)	2,477	2,713	2,697	4,047	4,421	4,167	4,010	3,837	4,247	5,907	38,523
4	बलात्कार (भादसं की धारा 376)	1,571	1,800	2,049	3,285	3,759	3,644	3,656	3,305	4,335	5,997	33,401
5	दहेज हत्या (भादसं की धारा 304 बी)	462	514	478	453	408	463	462	457	404	452	4,553

10 एससीआरबी और एनसीआरबी दोनों अपने प्रकाशनों में अपराध सांख्यिकी कैलेंडर वर्ष वार रिपोर्ट करते हैं। इसलिए इस रिपोर्ट में सभी अपराध आँकड़ों को कैलेंडर वर्ष के अनुसार दर्शाया गया है।

क्र.स.	अपराध का शीर्ष	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	योग
6	बलात्कार करने का प्रयास (भादसं की धारा 376 और 511)			0	0	373	407	340	550	620	1,019	3,309
7	महिलाओं को आत्महत्या हेतु उकसाना (भादसं की धारा 306)	160	198	149	179	143	161	167	153	153	186	1,649
8	महिला के शील का अपमान (भादसं की धारा 509)	23	9	18	25	18	9	15	24	34	69	244
9	मानव तस्करी (भादसं की धारा 370 और 370 ए)			0	0	3	4	1	7	4	5	24
10	अप्राकृतिक अपराध (भादसं की धारा 377)			0	0	3	2	5	6	0	0	16
11	तेजाब फेंकना/तेजाब फेंकनें का प्रयास (भादसं की धारा 326 ए और बी)			0	0	3	0	2	4	2	3	14
12	लड़कियों का आयात (भादसं की धारा 366 बी)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
13	अन्य		0	720	1,071	0	0	0	0	16	20	1,827
	योग भादसं अपराध	18,177	19,899	21,775	28,984	31,035	28,053	27,308	24,735	27,314	40,892	2,68,172
(बी)	**स्थानीय एवं विशेष अधिनियम**											
1	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012			0	0	0	0	265	740	449	571	2,025
2	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956	82	81	99	74	78	86	56	86	62	40	744
3	स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986	80	102	62	68	18	9	8	6	7	5	365
4	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961	3	4	39	57	12	9	3	1	5	4	137
5	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005	.	.	0	0	17	14	4	9	3	2	49
6	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006	2	5	10	5	5	6	12	6	11	19	81
7	राजस्थान डायन-प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015 (राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित)	.	.	.	.	.	0	0	31	17	49	97
8	महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0
9	सती (निवारण) अधिनियम, 1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	अन्य (सायबर अपराध)	0	0	0	0	0	0	0	0	27	41	68
	योग स्थाविअ अपराध	167	192	210	204	130	124	348	879	581	731	3,566
	महायोग (भादसं +स्थाविअ)	18,344	20,091	21,985	29,188	31,165	28,177	27,656	25,614	27,895	41,623	2,71,738

स्रोतः पुलिस महानिदेशक, राजस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ें

उपर्युक्त तालिका 2 से यह स्पष्ट है कि

- राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध दर्ज अपराध की घटनाएँ 2010 में 18,344 से बढ़कर 2019 में 41,623 हो गई, जिसमें 2010-19 के दौरान 10.86 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर[11] से कुल 126.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई ।
- महिलाओं के विरूद्ध दर्ज अपराध की घटनाओं में वर्ष 2018 से वर्ष 2019 के दौरान 49.21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई ।
- भादसं के तहत कुल अपराध में महिलाओं के विरूद्ध दर्ज अपराध का हिस्सा 2010 में 11.15 प्रतिशत से बढ़कर[12] 2019 में 18.15 प्रतिशत हो गया ।
- 'बलात्कार', 'महिलाओं पर लज्जा भंग करने के इरादे से हमला', 'पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता', 'महिलाओं का अपहरण एवं व्यपहरण' और 'दहेज हत्या' राज्य में महिलाओं के विरूद्ध दर्ज प्रमुख अपराध हैं । ये राज्य में महिलाओं के विरूद्ध कुल दर्ज अपराधों का 96.08 प्रतिशत हैं ।
- महिलाओं के विरूद्ध कुल दर्ज अपराधों के मामलों में, राजस्थान की स्थिति अधिकतर अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में उच्च थी । राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ो के अनुसार महिलाओं के विरूद्ध पंजीकृत अपराधों की संख्या के मामले में राजस्थान 2010-2016 के दौरान देश में चौथे स्थान पर था, 2017-2018 के दौरान पांचवे एवं 2019 के दौरान दूसरे स्थान पर था ।

गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने उत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि राज्य में आपराधिक शिकायतों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है, और इसलिए इन आंकड़ों में वृद्धि पूर्णतया सामान्य एवं स्वाभाविक प्रक्रिया थी । यह भी जोड़ा गया कि यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं था कि राज्य में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में वृद्धि हुई है ।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने उत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि यह सही है कि वर्ष 2010 से 2019 के दौरान दर्ज अपराधों की संख्या में 126.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । हालांकि, विशेषकर 2019 के आंकड़ों के लिए, यह भी उल्लेखनीय था कि दर्ज अपराधों जैसे रिश्तेदारों या पति द्वारा हिंसा और क्रूरता आदि में वृद्धि एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया का सरलीकरण, पुलिस विभाग का जनता के साथ बेहतर

---

11 2011: 9.52 प्रतिशत; 2012: 9.43 प्रतिशत; 2013: 32.76 प्रतिशत; 2014: 6.77 प्रतिशत; 2015: (-) 9.59 प्रतिशत; 2016: (-) 1.85 प्रतिशत; 2017: (-) 7.38 प्रतिशत; 2018: 8.91 प्रतिशत तथा 2019: 49.21 प्रतिशत।

12 2010 से 2019 तक कुल भादसं अपराधों में महिलाओं से संबंधित भादसं अपराधों का हिस्सा—2010: 11.15 प्रतिशत; 2011: 12.01 प्रतिशत; 2012: 12.74 प्रतिशत; 2013: 14.77 प्रतिशत; 2014: 14.75 प्रतिशत; 2015: 14.16 प्रतिशत; 2016: 15.14 प्रतिशत; 2017: 14.56 प्रतिशत; 2018: 15.89 प्रतिशत तथा 2019: 18.15 प्रतिशत।

व्यवहार, महिला पीड़िताओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ना और मीडिया तथा संचार तकनीकी पद्धतियों का विकास आदि था।

- राजस्थान के 33 प्रशासनिक जिलों का 2019 में महिलाओं से संबंधित अपराध की घटनाओं का जिला औसत 1040 था। 2019 में राजस्थान में अपराध का भौगोलिक प्रसार एवं संकेन्द्रण **चार्ट 2** में दर्शाया गया है।
- राजस्थान के 40 पुलिस जिलों में से 2019 में जैसलमेर (303), जोधपुर पूर्व (509), डूंगरपुर (537), सिरोही (591) और जालोर (596) सबसे कम अपराध की घटनाओं वाले जिले थे जबकि अलवर (2,528), अजमेर (2,043), भीलवाड़ा (1,728), भरतपुर (1,671) और श्रीगंगानगर (1,668) 2019 के दौरान सबसे अधिक अपराध की घटना वाले जिले थे (**चार्ट 3** में चित्रित)।

चार्ट 2: 2019 में राजस्थान में अपराध का भौगोलिक संकेन्द्रण

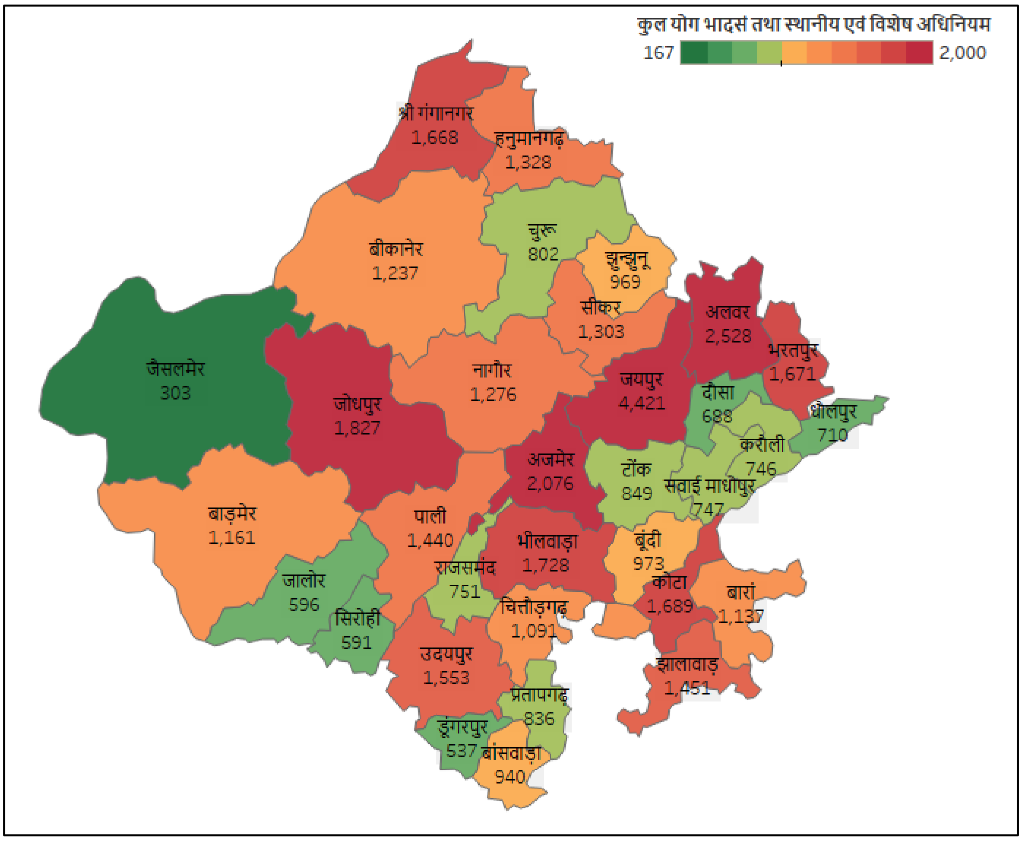

चार्ट 3: 2019 में सबसे कम/उच्चतम अपराध प्रवृत्त जिलों की तुलना

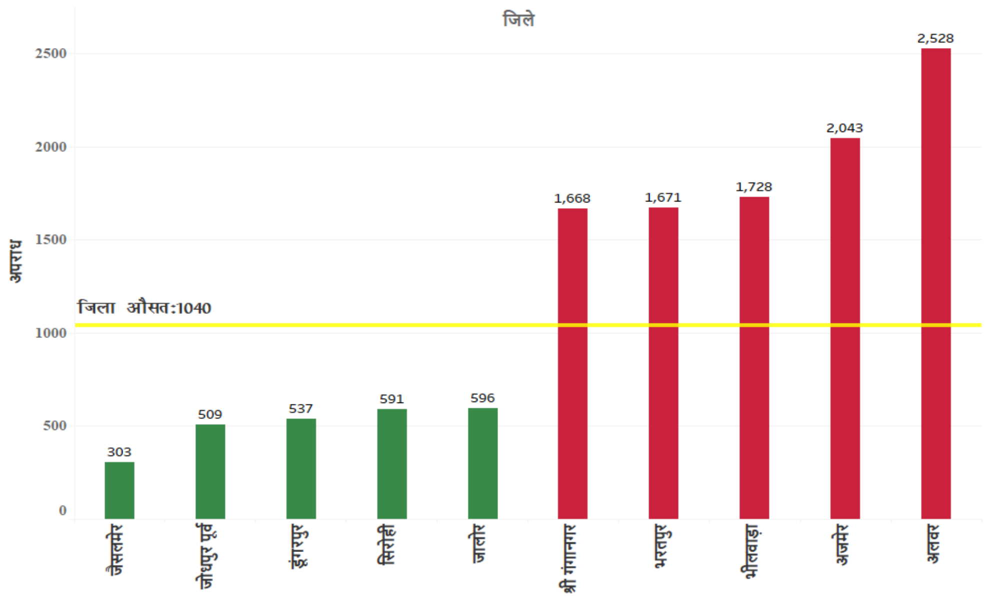

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो और पुलिस महानिदेशक, राजस्थान द्वारा प्रदत्त राजस्थान के अपराध के आंकड़ों का महिलाओं के विरूद्ध कुल दर्ज अपराधों का पड़ोसी राज्यों से विश्लेषण के दौरान, निम्नलिखित दृष्टिगत हुआः-

2.2 राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध दर्ज अपराध की उच्च दर

महिलाओं के विरूद्ध कुल अपराध, राज्य में पड़ोसी राज्यों की तुलना में अपराध दर (प्रति लाख महिला जनसंख्या पर महिलाओं पर कुल अपराधों की संख्या) तथा 2010-19 के दौरान अखिल भारतीय औसत का विवरण **तालिका 3** में दिया गया है।

तालिका 3

वर्ष	भारत में महिलाओं के विरुद्ध कुल अपराध	राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध कुल अपराध	सम्पूर्ण भारत के संदर्भ में राजस्थान में अपराध का प्रतिशत	कुल अपराध पर आधारित राजस्थान का स्थान	अखिल भारतीय अपराध दर	राजस्थान की अपराध दर[13] (प्रति लाख महिला जनसंख्या पर कुल अपराध)	अपराध दर पर आधारित राजस्थान का स्थान	मध्य प्रदेश की अपराध दर	उत्तर प्रदेश की अपराध दर	गुजरात की अपराध दर
2010	2,13,585	18,344	8.59	4	18.00	27.10	5	22.80	10.10	14.00
2011	2,28,650	20,091	8.79	4	18.90	29.00	7	22.90	11.30	14.60
2012	2,44,270	21,985	9.00	4	41.74	63.75	6	47.75	24.25	33.58
2013	3,09,546	29,188	9.43	4	52.24	83.13	4	61.64	32.93	42.63

13 एनसीआरबी की रिपोर्ट "क्राईम इन इण्डिया" में 'अपराध दर' की गणना संबंधित क्षेत्र की जनसंख्या जैसे- महिला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि की जनसंख्या के आधार पर की गई है। अपराध दर=रिपोर्ट किये गये अपराधों की संख्या/वर्ष के मध्य की अनुमानित जनसंख्या लाखों में।

वर्ष	भारत में महिलाओं के विरुद्ध कुल अपराध	राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध कुल अपराध	सम्पूर्ण भारत के संदर्भ में राजस्थान में अपराध का प्रतिशत	कुल अपराध पर आधारित राजस्थान का स्थान	अखिल भारतीय अपराध दर	राजस्थान की अपराध दर[13] (प्रति लाख महिला जनसंख्या पर कुल अपराध)	अपराध दर पर आधारित राजस्थान का स्थान	मध्य प्रदेश की अपराध दर	उत्तर प्रदेश की अपराध दर	गुजरात की अपराध दर
2014	3,37,922	31,165	9.22	3	56.30	91.40	3	79.00	38.30	37.20
2015	3,27,394	28,177	8.61	4	53.90	81.50	5	65.50	34.80	26.30
2016	3,38,954	27,656	8.16	4	55.20	78.30	5	71.10	47.50	28.70
2017	3,59,849	25,614	7.12	5	57.90	73.30	6	78.60	53.20	27.00
2018	3,78,277	27,895	7.37	5	58.80	75.10	5	73.50	55.70	26.00
2019	4,05,861	41,623	10.26	2	62.40	110.40	2	69.00	55.40	27.10

स्रोतः भारत में महिलाओं के विरुद्ध कुल अपराधः 2010-2019 की एनसीआरबी की रिपोर्ट "क्राईम इन इण्डिया" । 'राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध कुल अपराध' कालम के आंकड़ेः पुलिस महानिदेशक, राजस्थान द्वारा प्रदत्त ।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि

- राजस्थान में 2010-19 की अवधि में महिलाओं के विरूद्ध अपराध दर अखिल भारतीय औसत और पड़ोसी राज्यों की तुलना में लगातार अधिक थी, जैसा कि **चार्ट** 4 में दर्शाया गया है।
- महिलाओं के विरूद्ध अपराध दर को महिलाओं से संबंधित कुल अपराधों तथा लाखों में कुल महिला जनसंख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। राजस्थान में अपराध की दर 2010 में 27.10 से 2019 में 110.40 (83.30 अर्थात् 307.38 प्रतिशत की बढ़ोतरी) उसी अवधि के दौरान भारतीय औसत 18.00 से 62.40 (44.40 अर्थात् 246.67 प्रतिशत की बढ़ोतरी) की तुलना में बहुत अधिक थी।

चार्ट 4: पड़ोसी राज्यों और अखिल भारतीय औसत की तुलना में राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध अपराध दर

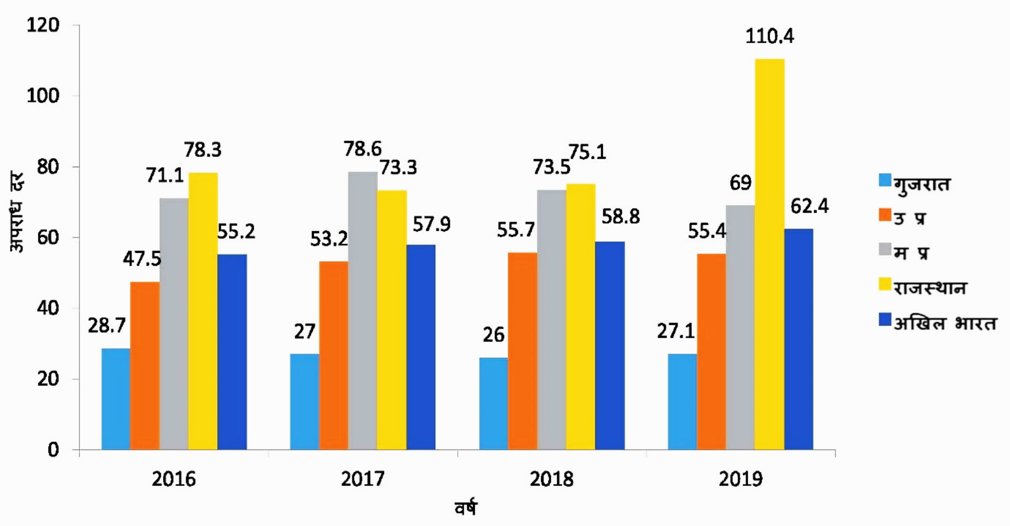

- 2019 के दौरान भारत की महिला जनसंख्या का 5.78 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में था। यद्यपि, 2019 में राज्य में महिलाओं के विरूद्ध अपराध का प्रतिशत भारत में महिलाओं के विरूद्ध दर्ज कुल अपराध का 10.26 प्रतिशत था।

2.3 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दर्ज महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की स्थिति

भादसं के अंतर्गत महिलाओं के विरूद्ध पंजीकृत मुख्य अपराधों के संबंध में तालिका 2 में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का विश्लेषण निम्नलिखित दर्शाता है:

- 2010-19 के दौरान पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (50.80 प्रतिशत), महिलाओं पर लज्जा भंग करने के इरादे से हमला (17.13 प्रतिशत), महिलाओं का अपहरण एवं व्यपहरण (14.18 प्रतिशत), बलात्कार (12.29 प्रतिशत) और दहेज हत्या (1.68 प्रतिशत) राज्य में महिलाओं के विरूद्ध पंजीकृत कुल अपराधों का 96.08 प्रतिशत है जैसा कि **चार्ट 5** में दर्शाया गया हैं।

चार्ट 5: 2010-19 के दौरान राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध दर्ज प्रमुख अपराधों में सापेक्षिक हिस्सा

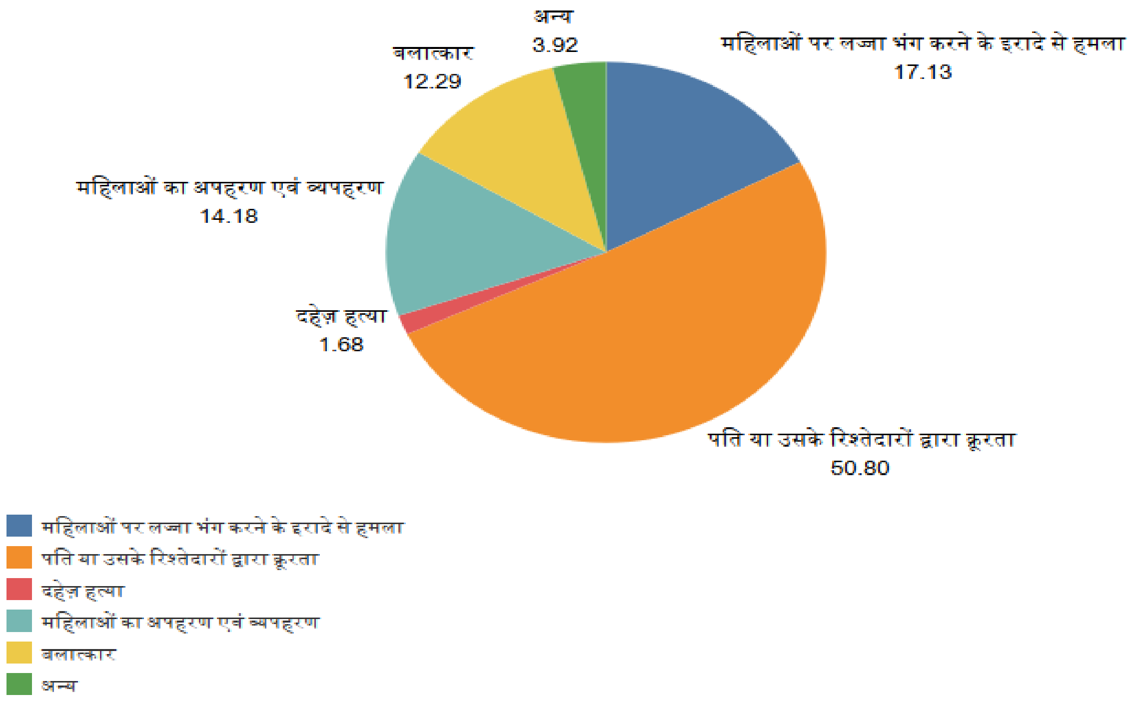

- 2010-19 की अवधि में महिलाओं पर लज्जा भंग करने के इरादे से हमला (276.31 प्रतिशत), बलात्कार (281.73 प्रतिशत), महिलाओं का अपहरण एवं व्यपहरण (138.47 प्रतिशत) और पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (65.38 प्रतिशत) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

- 2010-19 के दौरान महिलाओं के विरूद्ध दर्ज प्रमुख अपराधों में वर्षवार हिस्सेदारी की प्रवृत्ति **चार्ट 6** में दर्शायी गई है। जो दर्शाती है कि पिछले वर्षों में बलात्कार, महिलाओं पर लज्जा भंग करने के इरादे से हमला करने के अपराधों में वृद्धि हुई है।

चार्ट 6: 2010-19 के दौरान राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध दर्ज प्रमुख अपराधों में वर्षवार हिस्सेदारी की प्रवृत्ति

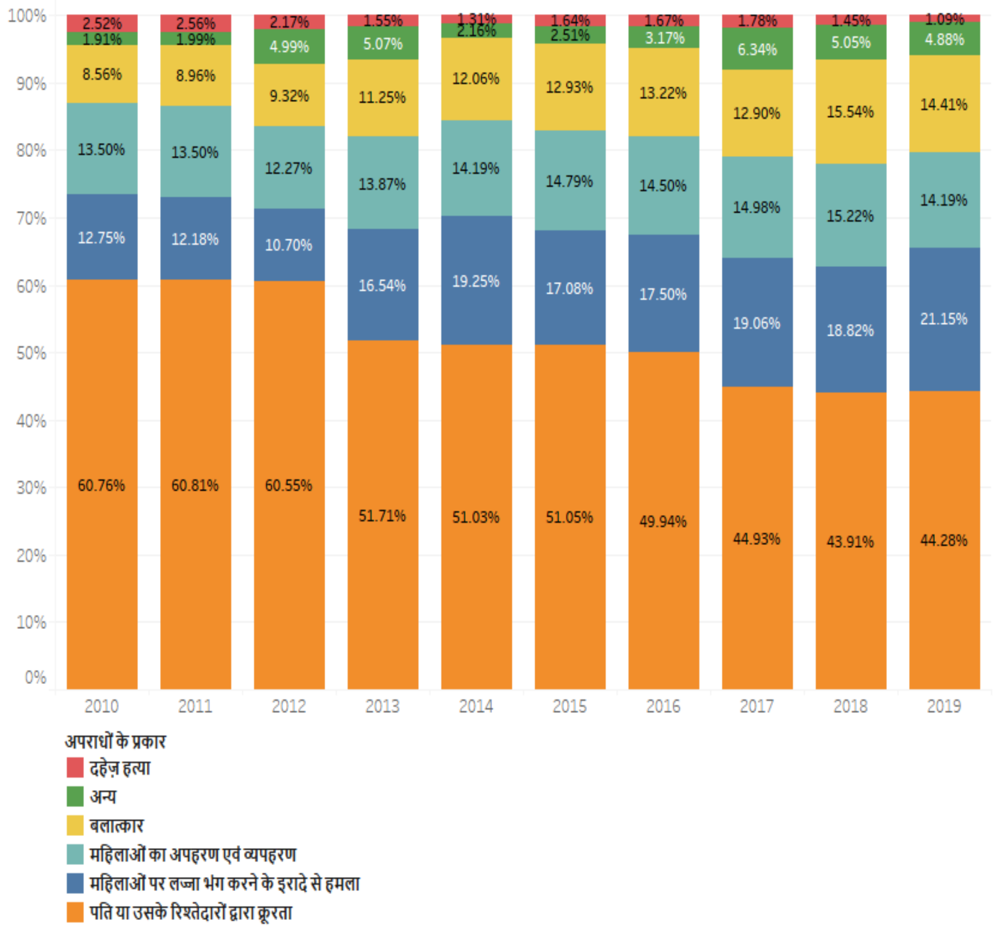

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2019 में उपलब्ध अपराध आँकड़ों के अनुसार, देश में दर्ज प्रकरणों में राजस्थान का स्थान पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता और बलात्कार के संबंध में प्रथम, दहेज हत्या एवं महिलाओं पर लज्जा भंग करने के इरादे से हमला के संबंध में चतुर्थ तथा महिलाओं का अपहरण एवं व्यपहरण में छठा था।
- राज्य में अदालतों द्वारा वर्ष 2012 से 2019 के दौरान कुल 6,373 व्यक्तियों[14] को बलात्कार (4,963) और दहेज हत्या (1,410) मामलों में दोषी ठहराया गया था।
- 2012-2019 की अवधि के दौरान राज्य में कुल 30,030 बलात्कार के मामले दर्ज[15] किए गए। इनमें से 3,322 मामले अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी)

14 पुलिस महानिदेशक राजस्थान द्वारा प्रकाशित 'क्राईम इन राजस्थान' के अनुसार।
15 पुलिस महानिदेशक राजस्थान द्वारा प्रकाशित मासिक अपराध रिपोर्ट के अनुसार।

(एससीः 2,704 और एसटीः 618) से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध थे। इन 3,322 मामलों में से, 1,205 मामलों में (एससीः 1,009 और एसटीः 196) बंद करने के लिए अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी और 1,713 मामलों में (एससीः 1,366 और एसटीः 347) जांच अधिकारी द्वारा चालान अदालत में प्रस्तुत किए गए थे। 404 मामले (एससीः 329 और एसटीः 75) लंबित थे।

इसके आगे, कार्यालय पुलिस महानिदेशक, राजस्थान द्वारा प्रदत्त अपराध के 2019 के आंकड़ों का जिला स्तरीय विश्लेषण **चार्ट 7** में दर्शाया गया है।

चार्ट 7: महिलाओं से संबंधित दर्ज प्रमुख अपराधों के आधार पर राजस्थान में 2019 के दौरान अपराध प्रवृत्त जिले

गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने उत्तर (फरवरी 2021) में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट का सन्दर्भ देते हुए अवगत कराया है कि 'अपराध असंख्य जटिल कारणों की अभिव्यक्ति है और चूंकि राज्यों की विभिन्न नीतियां और प्रक्रियाएं हैं, इसलिए इन प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर राज्यों के बीच तुलना से बचना चाहिए', अपराध में वृद्धि और दर्ज अपराधों में वृद्धि में अंतर है। रिपोर्ट में दर्शाई गई संख्या में वृद्धि, विभाग द्वारा महिलाओं के आगे आने और उनकी शिकायतों को सुगमता से दर्ज करने के लिए बढ़ी हुई सुविधाओं के कारण है जो पहले नहीं थी। विभाग ने यह भी अवगत कराया कि 2019 में महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार के दर्ज प्रकरणों में 45.88 प्रतिशत मामले बाद में गलत पाए गए। गृह विभाग के उत्तर की सराहना करते हुए, लेखापरीक्षा का मत है कि पंजीकृत अपराधों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण विभाग को अंतर्निहित कारकों की स्थानीय समुदायों के साथ संयुक्त पेशेवर जाँच करके मुद्दों का उचित समाधान करने और अपराधों की संख्या में वृद्धि के वास्तविक सत्यापित कारणों पर कार्यवाही करने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के सुझावों का पालन करना अच्छा होगा।

2.4 स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकरण

राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रतिवेदन 'क्राईम इन राजस्थान' में अवगत कराया गया है कि स्थानीय एवं विशेष अधिनियम पीड़ित/पुनर्वास केन्द्रित हैं और इसका उद्देश्य पीड़ितों को अतिरिक्त सुरक्षा, मौद्रिक राहत, पुनर्वास, मुफ्त कानूनी सहायता/परामर्श आदि प्रदान करना है। स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत मामले पुलिस/अन्य अभिकरणों द्वारा स्वयं की पहल पर दर्ज किए जाते हैं और इन अधिनियमों के प्रवर्तन का एक निश्चित निवारक प्रभाव पड़ता है। इन अधिनियमों के अन्तर्गत अधिक संख्या में मामले सक्रिय पुलिसिंग को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात् अपराध का पंजीकरण बेहतर पुलिस प्रयासों एवं बेहतर प्रवर्तन को इंगित करते हैं। 2010-19 की अवधि के दौरान, महिलाओं से संबंधित विभिन्न स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत 3,566 मामले दर्ज किये गये जबकि 2010-19 के दौरान भादसं के अन्तर्गत महिलाओं के विरूद्ध अपराध के विभिन्न शीर्षों में 2,68,172 मामले दर्ज किये गये। **चार्ट 8** में 2019 में स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों में दर्ज विभिन्न अपराधों की तुलनात्मक हिस्सेदारी को दर्शाया गया है।

चार्ट 8: 2019 में स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों में दर्ज अपराधों का तुलनात्मक हिस्सा

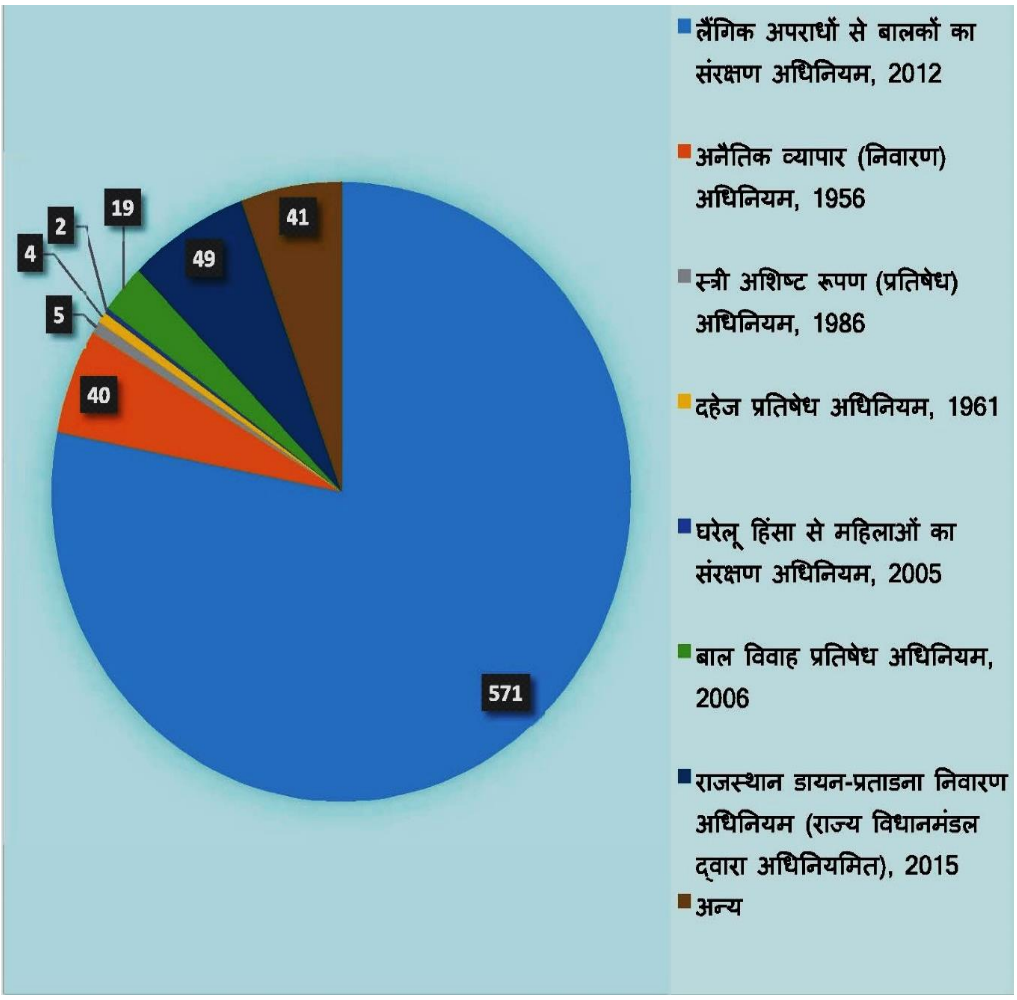

- वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम (35.48 प्रतिशत), स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम (28.57 प्रतिशत), दहेज प्रतिषेध अधिनियम

(20.00 प्रतिशत) और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (33.33 प्रतिशत) के तहत मामलों के पंजीकरण में कमी आई ।

- 2013 में महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रवर्तन के बाद से एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया ।
- तथापि, 2019 में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (27.17 प्रतिशत), बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (72.72 प्रतिशत) और राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण अधिनियम (188.24 प्रतिशत) के तहत मामलों के पंजीकरण में वृद्धि हुई थी ।
- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और अत्याचार और विभिन्न अधिनियमों, नियमों, योजनाओं और अवसरों के बारे में जागरूकता के संबंध में 42 महिलाओं का सर्वेक्षण[16] किया गया था जो कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम, संरक्षण और निवारण के संबंध में है । **चार्ट 9 और 10 में वृत्तचित्र** के रूप में दो बहुविकल्पीय सवालों के जवाब दिखाए गए हैं । सर्वेक्षण के परिणाम **तालिका 4** में दिए गए हैं ।

चार्ट 9: प्रश्न महिलाओं के विरुद्ध अपराध का सबसे संभावित कारण कौन सा है?

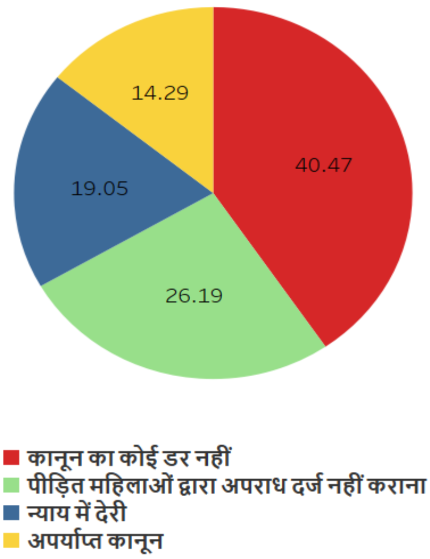

चार्ट 10: प्रश्न महिलाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने के लिए इनमें से कौन सा कदम सबसे प्रभावी होगा?

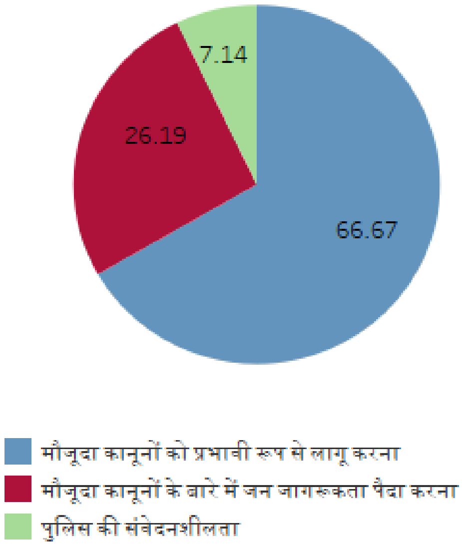

16 सर्वेक्षण में सम्मलित सभी महिलायें शिक्षित (23-स्नातक, 16-स्नातकोत्तर और 3 गैर-स्नातक) और पेशेवर कामकाजी (37 स्थायी कर्मचारी और 05 निजी कर्मचारी हैं जो कि अनुबंध के आधार पर कार्यरत हैं) सरकारी संगठनों में कार्यरत और जयपुर निवासी थी।

तालिका 4

क्र. सं.	प्रश्न	हाँ	नहीं
1	"क्या आप महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम के बारे में जानते हैं?"	76.19	23.81
2	"क्या आपका संगठन महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम के बारे में जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है?"	52.38	47.62
3	"क्या आप आंतरिक समिति/स्थानीय समिति के बारे में जानते हैं?"	76.19	23.81
4	"क्या आप सरकार द्वारा दी जा रही कानूनी सहायता और पीड़ित मुआवजा योजनाओं के बारे में जानकारी रखते हैं?"	52.38	47.62
5	"क्या आप महिलाओं/बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामलों में शिकायत दर्ज कराने, परामर्श और निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए सरकारी व्यवस्था के बारे में जानकारी रखते हैं?"	59.53	40.47
6	"क्या आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा स्थापित स्वाधार गृह के बारे में जानते हैं?"	42.86	57.14
7	"क्या आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा स्थापित नारी निकेतन के बारे में जानते हैं?"	47.62	52.38
8	"क्या आप घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के बारे में जानते हैं?"	69.05	30.95
9	"अगर आप या आपके किसी जानकार को ऐसी स्थिति जहाँ पुलिस में शिकायत दर्ज की जानी थी, तो क्या आपको सहायता के लिए पुलिस थाने में महिला एवं बाल डेस्क के लिए निर्देशित किया गया था?"	38.10	61.90

निष्कर्ष

2010-19 की अवधि के दौरान महिलाओं के विरुद्ध दर्ज अपराधों में 10.86 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 126.90 प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई थी तथा राज्य में महिलाओं के विरुद्ध अपराध दर, अखिल भारतीय औसत से अधिक थी। राजस्थान में कुल अपराधों में महिलाओं के विरुद्ध दर्ज अपराध का अनुपात 2010 में 11.15 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 18.15 प्रतिशत हो गया।